अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक भर्ती हेतु ऑफलाइन आवेदन पत्र

1. आवेदित संस्था का नाम – ....

2. अभ्यर्थी का नाम – ....

3. पिता/पति का नाम – ....

4. माता का नाम – ....

5. जन्म तिथि – ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

6. लिंग – महिला ☐ / पुरूष ☐

7. वर्ग– सामान्य ☐ / अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ /अनुसूचित जाति ☐ /अनुसूचित जनजाति ☐ /दिव्यांग ☐

8. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – हॉ ☐ / नहीं ☐

9. क्या आप विवाहित है – हॉ ☐ / नहीं ☐

10. क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी है – हॉ ☐ / नहीं ☐

11. गृह जनपद का नाम – ....

12. गृह राज्य का नाम – ....

13. मोबाइल नं0 – ....

14. ई–मेल – ....

15. शैक्षिक योग्यता –

क्र0सं0	योग्यता	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	अनुक्रमांक	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1.	हाईस्कूल						
2.	इण्टरमीडिएट						
3.	स्नातक						

16. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित आयोजित PET परीक्षा का विवरण –

- पंजीकरण संख्या– ....
- अनुक्रमांक– ....
- वास्तविक स्कोर– ....
- नार्मलाइज्ड स्कोर– ....
- परसेंन्टाइल स्कोर– ....

....

17. कम्प्यूटर संचालन का डोयक/निलिट द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण–पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण–पत्र का विवरण–..

18. कम्प्यूटर टंकण की गति हिन्दी भाषा में 25 व अंग्रेजी भाषा में 30 शब्द/मिनट है अथवा नहीं – ....

19. स्थायी पता– ....

....

20. अस्थायी पता/पत्र–व्यवहार का पता – ....

....

21. रू0 750 के पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट का विवरण –– ....

22. घोषणा–

1. मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त समस्त प्रमाण मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैने विज्ञापन के अनुसार सभी नियम व शर्ते पढ़ ली है और मै इसे स्वीकार करता/ करती हूँ।
2. मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में की गयी सभी प्रविष्टियां/विवरण पूर्ण और सही है। यदि उक्त आवेदन में कोई तथ्य गोपन किये गये है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

नोट– उक्त समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जाय।

दिनांक:...

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नियुक्ति प्राधिकारी निरीक्षक के पूर्वानुमोदन के सिवाय किसी मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त संस्था के शिक्षणेत्तर (लिपिक संवर्ग) पद की रिक्ति को नहीं भरेगा। प्रतिबन्ध यह है कि जिला विद्यालय निरीक्षक समस्त रिक्तियों की संख्या शिक्षा निदेशक, माध्यमिक को उपलब्ध करायेगा तथा संस्था में छात्र संख्या दर्शाते हुए पदों को भरे जाने के औचित्य को भी स्पष्ट करेगा। शिक्षा निदेशक, माध्यमिक से आदेश प्राप्त होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक उक्त रिक्तियों (चतुर्थ श्रेणी रिक्तियों

(1) विद्यालयवार चयन समिति

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक वर्गीय/शिक्षणेत्तर पदों पर चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत किया जायेगा

1	सम्बन्धित विद्यालय का प्रबन्धक अथवा प्रबन्ध समिति द्वारा नामित कोई व्यक्ति जो वर्तमान प्रबन्ध समिति का सदस्य हो। (विद्यालय प्रबन्ध समिति का अस्तित्व न होने की दशा में प्राधिकृत नियंत्रक उपरोक्त समिति के अध्यक्ष होंगे।)	अध्यक्ष
2	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सह जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा अन्य अधिकारी—	सदस्य सचिव
3	जिला सेवायोजन अधिकारी— (जिला सेवायोजन अधिकारी का पद रिक्त होने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई जनपद स्तरीय अधिकारी)	सदस्य
4	जनपद में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य—	सदस्य
5	क्रम संख्या—1,2,3 व 4 में नामित सदस्यगण में से अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व न होने पर जिलाधिकारी द्वारा उनके प्रतिनिधित्व हेतु उक्त श्रेणी के किसी अधिकारी/अधिकारियों को नामित किया जायेगा।	

(2) आवेदन हेतु पात्रता—

उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा सम्पन्न करायी गयी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET) में 50 एवं अधिक पर्सेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रश्नगत चयन के लिये आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। (PET स्कोर से तात्पर्य आवेदन की तिथि पर उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की घोषित वैध स्कोर से है।)

[illegible] की भर्ती हेतु नियुक्ति प्राधिकारी का अनुमति प्रदान करना और अनुमति प्रदान करते समय शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियम एवं पदों के औचित्य के लिए निर्धारित मानकों का पालन करायेगा।"	(3) [illegible] [illegible] • [illegible] शिक्षा निदेशक को [illegible] • जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा [illegible] पद का [illegible] आदेश [illegible] हुए स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव [illegible] निदेशक [illegible] किया जायेगा। तत्पश्चात शिक्षा निदेशक, माध्यमिक [illegible] पदों को आलोक में औचित्य एवं आवश्यकता के [illegible] पदों के भरे जाने हेतु आदेश निर्गत किया जायगा। शिक्षा निदेशक के आदेश के [illegible] जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा [illegible] शिक्षा अधिनियम, 1921 के अध्याय-तीन के विनियम-10 [illegible] पदों को भरने हेतु नियुक्ति अधिकारी [illegible] को अनुमति प्रदान किया जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी/[illegible] प्रसार वाले (जिला शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर एवं जनपद में [illegible] सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूची के प्रथम 5 में से) क्रम से कम दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विद्यालयवार/[illegible] पदों का विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। • विज्ञापन में पद का वेतनमान व अन्य भत्ते, पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता, न्यूनतम आयु यदि कोई हो, के सम्बन्ध में विवरण दिये जायेंगे तथा आवेदन पत्र भरे जाने सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश अंकित किया जायेगा। आवेदन पत्र भरने हेतु ऐसा अंतिम दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन प्रकाशन के दिनांक से 21 दिन से कम नहीं होना चाहिए) विहित करते हुए विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। • अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जायेगा तथा उसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक के ई-मेल आई0 डी0 पर प्रेषित किया जायेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक की ई-मेल आई0डी0 को विज्ञापन में प्रकाशित कराया जायेगा। (4) आरक्षण-

उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को उ0प्र0 सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांगजनों तथा उ0प्र0 की महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यावधिक शासनादेशों/अध्यादेश/अधिनियम के अनुसार रिक्तियां बनने पर नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

- उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-3/2019 /4/1/2002/का-2/19 टी0सी0-II दिनांक 14 मार्च, 2019 में विहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) को 10 प्रतिशत आरक्षण प्राविधानानुसार देय होगा।
- दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित पदों पर क्षैतिज आरक्षण दिव्यांग/विकलांग कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 35/65-3-11-78/99, दिनांक 13.01.2011 के अनुसार देय होगा।

(5) आयु सीमा-

- प्रश्नगत विज्ञापन में अभ्यर्थी की आयु चयन वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए।

नोटः- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसे अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी, जितनी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो। कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-22/21/1983-कार्मिक-2, दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी हेतु आरक्षित पदों के सापेक्ष आवेदन करने एवं आरक्षण का दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) में विहित "भूतपूर्व सैनिकों की परिभाषा" के अन्तर्गत परिभाषित होना आवश्यक है और ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन की अन्तिम तिथि तक सेना से कार्यमुक्त होना अनिवार्य है। समाज के दिव्यांगजनों को उ0प्र0 सरकार के अद्यतन, नवीनतम विद्यमान कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं-18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03.02.2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(6) आवेदन शुल्क:-

लिपिक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर आवेदन हेतु निम्नानुसार श्रेणीवार आवेदन शुल्क अनुमन्य होगाः-

क्र0सं0	श्रेणी	आवेदन शुल्क
1	अनारक्षित (सामान्य)/ अन्य पिछड़ा वर्ग	750.00
2	अनुसूचित जाति/जनजाति/ई0डब्ल्यू0एस0	500.00

(नोट– आवेदन शुल्क बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर एवं एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से सम्बन्धित संस्था के प्रबंधक/प्राधिकृत नियंत्रक/प्रबंध संचालक के पदनाम से संचालित खाते में जमा किया जायेगा)

(7) चयन हेतु शैक्षिक अर्हता:-

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो।

2. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के साथ–साथ केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था/शिक्षा बोर्ड/परिषद् द्वारा संचालित हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइन्स विषय को लिया गया हो। (कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–10/2016/3/1/2015–का–2 दिनांक 23 सितम्बर, 2016 के अनुसार)

   अथवा

   कम्प्यूटर संचालन का डोएक/निलिट द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण–पत्र।

   अथवा

   कम्प्यूटर साइन्स में डिप्लोमा/डिग्री। (कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–10/2016/3/1/2015–का–2 दिनांक 23 सितम्बर 2016 के अनुसार)

अथवा

कम्प्यूटर में ओ लेवल योग्यता धारी यथा कम्प्यूटर में डिप्लोमा, डिग्री, पी०जी०डी०सी०ए०, बी०सी०ए०, एम०सी०ए० तथा ग्रेजुऐशन अथवा उच्च डिग्री (बी०ए०, बी०एस०सी०, बी०टेक, एम०एस०सी०, एम०बी०ए०) में कम्प्यूटर के रूप अथवा एक सेमेस्टर में कम्प्यूटर कोर्स धारित। (कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–2/2018/3/1/2015–का–2 दिनांक 05 जुलाई, 2018 के अनुसार)

3. कम्प्यूटर पर हिंदी टंकण गति न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट एवं कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण गति न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट होगी।

(8) चयन प्रक्रिया–

• आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की क्वालीफाईंग टंकण परीक्षा आयोजित की जायेगी। टंकण परीक्षा जनपद के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित की जायेगी। टंकण परीक्षा का अनुश्रवण तालिका के कॉलम–2 के बिन्दु (1) के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

• टंकण परीक्षा हेतु चयन समिति द्वारा 01 पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जायेगा। यदि 01 पद के सापेक्ष 10 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया है तो PET में सर्वाधिक पर्सेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले प्रथम 10 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

• कम्प्यूटर टंकण परीक्षा क्वालीफाईंग होगी। प्रबंधक द्वारा टंकण परीक्षा की निर्धारित तिथि की सूचना पंजीकृत डाक के माध्यम से न्यूनतम 15 दिवस पूर्व अभ्यर्थियों को प्रेषित की जायेगी साथ ही अभ्यर्थियों के ई–मेल आई० डी० पर भी टंकण परीक्षा की तिथि की सूचना दी जायेगी।

• टंकण परीक्षा क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थियों की PET में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनायी जायेगी। उक्त मेरिट सूची में विज्ञापित पदों की संख्या के तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

• चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का 20 अंक का साक्षात्कार लिया जायेगा।

• चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के PET परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची बनायी जायेगी। मेरिट सूची में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

- प्रबंधक द्वारा चयन समिति से प्राप्त चयनित सूची समस्त अभिलेखों सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित की जायेगी।
- जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कार्यवृत्त तैयार करवाकर, अभिलेखों का सम्यक् परीक्षण करते हुए अपने अभिमत सहित प्रस्ताव मण्डलीय समिति को प्रेषित किया जायेगा।
- मण्डलीय समिति द्वारा नियमों के आलोक एवं अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरांत वित्तीय अनुमन्यता निर्गत की जायेगी।
- चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण–पत्रों का सत्यापन मूल स्रोत से किया जायेगा तथा व्यय शुल्क सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।
- चयन हेतु पदों एवं चयनित अभ्यर्थियों के विद्यालय में नियुक्ति के सम्बन्ध में विवाद होने की स्थिति में प्रकरण का निस्तारण मण्डलीय समिति द्वारा किया जायेगा।
- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं सक्षम प्राधिकारी एवं अभिसूचना इकाई (एल०आई० यू०) द्वारा चरित्र/आपराधिक रिकॉर्ड विषयक प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात संस्था प्रबन्धक द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

(9) <u>अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश–</u>

- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।
- भूतपूर्व सैनिक तथा विकलांगजन उ०प्र० शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते है, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण–पत्र कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 18/1/2008–का–2–2008, दिनांक 03.02.2008 में निर्धारित प्रारूप पर हो तथा प्रमाण–पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।
- ऐसे पुरूष अभ्यर्थी जो विवाहित है तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां है अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं माने जायेंगे।
- आवेदन स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक ही अभ्यर्थियों द्वारा

	धारित अर्हता स्वीकार की जायेगी। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ग्रहण की गयी योग्यता/अर्हता चयन हेतु मान्य नहीं होगी। • किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को लिखने प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, ऐसे पर पश्चात चयन से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है। • हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पश्चगत प्रकरण में उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(आराधना शुक्ला)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– 59 (1)/15-05-2021-1600(359)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी (माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी), उत्तर प्रदेश।
3. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
7. गोपन अनुभाग–1 को उनके पत्र सं0-4/3/23/2021-सी0एक्स0(1), दिनांक–16 नवम्बर, 2021 के संदर्भ में।
8. समस्त विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनु सचिव एवं अनुभाग अधिकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
10. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
11. समस्त अपर शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
25/11/2021
(जय शंकर दुबे)
विशेष सचिव।